(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 155 **नई दिल्ली** **22 अगस्त 2009**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, न्यू मंगलौर पत्तन न्यास द्वारा दीर्घ / अल्पकालिक शर्तों के आधार पर पट्टे पर दी गई भूमि के लिए पट्टे किराये की वैधता को विस्तारित करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/33/2005 - एनएमपीटी

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) **आवेदक**

आदेश

(जुलाई, 2009 के 28 वें दिन पारित)

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास द्वारा दीर्घ / अल्पकालिक शर्तों के आधार पर पट्टे पर दी गई भूमि के पट्टे-किराये का पिछला संशोधन 20 जनवरी 2005 को किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराया 19 फरवरी 2007 तक वैध था।

2. दरों की वैधता को समय-समय पर विस्तारित किया गया था और अंत मे, इसे दिनांक 27 मार्च 2009 के आदेश के द्वारा 31 जुलाई 2009 तक या इस प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित किया गया था।

3. एनएमपीटी से मांगी गई सूचनाएँ / स्पष्टीकरण प्रतिक्षित है। मामले को अंतिम विचार-विमर्श हेतु परिपक्व होने के लिए कुछ और समय लगेगा।

4. इसलिए, यह प्राधिकरण मौजूदा पट्टे-किराये की वैधता को 31 अक्टूबर 2009 तक या अनुमोदित किए जाने वाले संशोधित पट्टे-किराये की प्रभावी कार्यान्वयन तिथि तक, इनमे से जो भी पहले हो विस्तारित करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष